

206/25

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक:-

क्रमांक:-

2025/280

ग्रामीण सेवा शिक्ति

कैम्प काट

पप्पी कुमारी बनाम सरमा

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 9.10.25

पटवारी हल्का रोसी, भू अभिलेख निरीक्षक रोसा की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम रोसी के खाता संख्या 443 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	रोसी	443		पप्पी	पप्पी कुमारी	
02.						
03.						
04.						

उपखण्ड अधिकारी  
नादौती  
कैम्प कोर्ट रोसी  
दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि सवतानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
02. पटवारी, पटवार हल्का रोसी।
03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी  
नादौती



Suroth | 2025.10.11 09:37